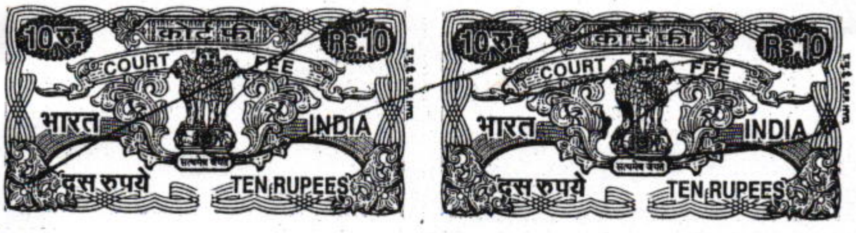

126

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /निगरानी/2014 R-3957-III/14

01. हेमसिंह आ. श्री हीरालाल आयु वयस्क
02. रामनारायण आ. श्री बालमुकुन्द आयु वयस्क
03. छोटेराम आ. श्री बट्टूलाल आयु वयस्क
04. कालूराम आ. श्री मानसिंह आयु वयस्क
सभी निवासी एवं कृषक ग्राम मण्डखेड़ा
तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म0प0 ......निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

श्रीमति हरजीत कौर पत्नि श्री महेन्द्र पाल सिह आयु वयस्क
कृषक ग्राम मण्डखेड़ा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0
निवासी भोपाल ....रेस्पाण्डेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 09/06/2014 के द्वारा प्रकरण कमांक 140/अ-12/13-14 पारित द्वारा श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, टप्पा दौराहा जिला सीहोर म0प्र0

प्रकरण जो आहुत किये जाने है:-

01. **प्रकरण कमांक 140/अ-12/13-14 पारित दिनांक 09/06/2014 न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, टप्पा दौराहा जिला सीहोर**
02. **न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, टप्पा दौराहा जिला सीहोर हरजीत कौर विरुद्ध हेम सिह व अन्य (ग्राम मण्डखेड़ा धारा 250 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 का प्रकरण)**

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
राजस्व संभाग, भोपाल

29-11-14

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्तागण माननीय अधीनस्थ नायब तहसीलदार महोदय टप्पा दोराहा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के न्यायालय द्वारा पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करते है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3957–तीन/14 जिला –सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-8.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एन0 एस0 ठाकुर उपस्थित। यह निगरानी उनके द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा दोहरा जिला सीहोर का प्रकरण कमांक 140/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 9.6.14 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि ग्राम मंडखेडा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर में स्थित भूमि सर्वे नंबर 192/2 रकबा 2.023 है0 के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । प्रकरण पंजीबद्व कर दस्तावेजों में उल्लेख कर कि सूचना पत्र जारी किये एवं बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर दूषित तरीके से सीमांकन करा लिया गया । सीमांकन विधि विरूद्व होने से नायब तहसीलदार टप्पा दोहरा जिला सीहोर का प्रकरण कमांक 140/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 9.6.14 से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक अपनी भूमि पर काबिज है। उनके द्वारा जितनी भूमि है उस	

क्रमशः

पर ही उनका आधिपत्यधारी अपने पूर्वजों के समय से चले आ रहे हैं । परंतु अनावेदक द्वारा दुषित प्रक्रिया अपना कर बगैर निगरानीकर्ता को सूचना दिये मिथ्या टीप अंकित कराकर कि सूचना दी परंतु मेढ़ पडौसियों ने सूचना लेने से इंकार कर दिया इस प्रकर उक्त कार्यवाही पूर्णतः विधि विरूद्ध होने से जो सीमांकन किया गया है वह निरस्त करने का निवेदन किया है। उनके द्वारा अपनी बहस में आगे कहा गया है कि राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ कर दूषित सीमांकन किया गया है जो निरस्त किया जावे। आगे उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जावे।

4-अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि विधान से सही है उसमें हस्तक्षेप की गुजांइश नहीं है । अतः उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि आदेश की सत्यप्रतिलिपि भी संलग्न नहीं की है। अतः निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

5- उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्कानुक्रम तथा संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि हेम सिंह के पंचनामा एवं नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं है उसपर लेख किया गया है कि मौखिक सूचना दी गई है। अतः प्रकरण नायब तहसीलदार टप्पा दौराहा जिला सीहोर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये आदेश पारित करें। यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की

जाती है । पक्षकार सूचित हो। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

सदस्य